

कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय-आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक: प.19(05)शिक्षा-2/अभिवृद्धि/2018, जयपुर दिनांक-30.1.19 की पालन में कार्यालय निदेशालय साक्षरता एवं सतत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर में कार्यरत निम्नलिखित चयनित आशार्थी व नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से एक/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ वर्ष के लिये राजस्थान सेवा नियम 1951 व नियम- 144 क के तहत प्रतिनियुक्ति अभिवृद्धि की एतद्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

| क्र सं | कार्मिक का नाम मय पदनाम (सर्वश्री) | प्रतिनियुक्ति पदस्थापन स्थान | प्रतिनियुक्ति पर कार्यग्रहण तिथि | चतुर्थ वर्ष की अभिवृद्धि दिनांक | प्रतिनियुक्ति पर प्रस्तावित अभिवृद्धि की दिनांक |
|--------|--|--|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 1 | राममोहन, व्याख्याता (संस्कृत) सतत शिक्षा कार्यक्रम अधिकारी | कार्यालय निदेशालय साक्षरता एवं सतत शिक्षा, जयपुर | 10.12.2015 | 05.11.2019 | 11.12.2015 से 05.11.2019 |



(नथमल डिल्ले)

आई.ए.एस.

निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,


बीकानेर

दिनांक- 05.02.19

क्रमांक:-शिविरा-मा/संस्था/सी-8/प्रतिनियुक्ति/अभिवृद्धि/2019 | 162

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- शासन उपसचिव-शिक्षा(ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
- 2- अतिरिक्त निदेशक, निदेशालय साक्षरता एवं सतत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
- 3- संबंधित उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा
- 4- संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी-माध्यमिक
- 5- संबंधित संस्था प्रधान/कार्मिक
- 6- सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वैबसाईट पर प्रकाशनार्थ।
- 7- रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर